(नियम 23)

2017/00030

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

राजेश बनाम तहसीलदार

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नं. 165 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
27/4/17	आज यह प्रार्थना पत्र धारा 136 L.R. Act के तहत प्रार्थी राजेश पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी मार्फत रिपोर्ट पटवारी हल्का भू०अ०निरीक्षक मण्डोली एवं तहसीलदार नीमकाथाना होकर पेश हुआ। प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने बताया कि ग्राम मावण्डा खुर्द के खाता सं 347 का मैं सह खातेदार हूँ। उक्त भूमि की खातेदारी मे हमारा नाम श्रीकृष्ण, राजू पि० दुर्गाराम सहवन से दर्ज चला आ रहा है। जबकि मेरा व मेरे भाई का वास्तविक नाम राजेश व हरिकृष्ण है। मैंने आधार कार्ड पहचान पत्र स्कूल की अंकतालिका व ग्रा०प० सरपंच का प्रमाण पत्र भी पेश किया है। जिन सभी मे हम दोनो भाईयो का नाम राजेश हरिकृष्ण पुत्र दुर्गाप्रसाद दर्ज है। अतः उक्त भूमि के रिकार्ड में भी दुरुस्त किया जावे। प्रार्थी को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड रिपोर्ट पटवारी हल्का मावण्डा खुर्द, भू० अ० नि० मण्डोली तथा तहसीलदार नीमकाथाना के अवलोकन से स्पष्ट है कि ~~[illegible]~~ राजू पुत्र दुर्गाप्रसाद व राजेश पुत्र दुर्गाप्रसाद दोनो एक ही व्यक्ति है एवं श्रीकृष्ण पुत्र दुर्गाप्रसाद हरिकृष्ण पुत्र दुर्गाप्रसाद दोनो एक ही व्यक्ति है। जिनका सही नाम हरिकृष्ण, राजेश पुत्रगण दुर्गाप्रसाद होना सिद्ध होता है। अतः राजस्व लोक अदालत की भावना को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता उचित प्रतीत होता है।	

उपखण्ड अधिकारी
नीम का थाना (सीकर)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू० राजस्व अधि-नियम 1956 की धारा 136 L.R. Act के तहत साबित होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि खाता सं 347 ग्राम मावण्डा खुर्द में दर्ज खातेदार श्रीकृष्ण, राजू पुत्र दुर्गाराम के स्थान पर हरिकृष्ण राजेश पुत्रगण दुर्गाप्रसाद दर्ज कर राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती करे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी कि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना (सीकर)	